



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिषिष्ठ

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 12 अक्टूबर, 2020

आश्विन 20, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग—3

संख्या 18/2020/1268/36-3—2020-02(सा०)-14

लखनऊ, 12 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प०आ०—250

उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल निम्नलिखित विनिर्दिष्ट क्षेत्र में समस्त दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए, जहाँ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव, 2020 के सम्बन्ध में मतदान दिनांक 3 नवम्बर, 2020 (दिन मंगलवार) को किया जाना है, उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए, लोकहित में यह छूट प्रदान करते हैं कि यदि मतदान का वास्तविक दिन उस क्षेत्र में, जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है ऐसी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामाच्च साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान का वास्तविक दिन उस क्षेत्र में कार्यरत मतदाता हेतु बन्दी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

40—नौगावां सादात (जनपद अमरोहा)

65—बुलंदशहर (जनपद बुलंदशहर)

95—टूण्डला (अ०जा०) (जनपद फिरोजाबाद)

162—बांगरमऊ (जनपद उन्नाव)

218—घाटमपुर (अ०जा०) (जनपद कानपुर नगर)

337—देवरिया (जनपद देवरिया)

367—मल्हनी (जनपद जौनपुर)

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा
अपर मुख्य सचिव।

पी०एस०य०पी०—८०पी० 297 राजपत्र—2020—(737)—599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०य०पी०—८०पी० 4 सा० श्रम—2020—(738)—300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।